न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 42/2019

वादीगण		प्रतिवादीगण
1 नगाराम पुत्र गंगाराम 2 घमडाराम 3 ठाकराराम पिसरान मोटाराम 4 पेमी पत्नी मोटाराम 5 हडुमानराम 6 आसूराम पिसरान पोकरराम जाति जाट निवासी नवजी का पाना (भूरटिया) तहसील व जिला बाडमेर।	बनाम	1 हनुमानराम 2 मगाराम पिसरान आईदानराम जाति जाट निवासी नवजी का पाना (भूरटिया) तहसील व जिला बाडमेर 3 तहसीलदार बाडमेर 4 मैनेजर भारतीय स्टेण्ड बैंक शाखा कवास।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 RTA Act.

उपस्थिति :– 1. श्री डालूराम गोदारा, वकील वादीगण।
2. श्री निम्बाराम बेनिवाल, वकील प्रतिवादी संख्या 01 व 02।

निर्णय

दिनांक 21.01.21

संक्षिप्त में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा नवजी का पाना पटवार क्षेत्र भूरटिया तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 594, 679, 680, 756, 757, 785/682 व 898/758 रकबा क्रमशः 31.08, 0.09, 01.01, 0.08, 0.10, 101.06, 45.15 कुल रकबा 180.17 बीघा भूमि आई हुई है। वर्तमान में उक्त भूमि में से वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का संयुक्त कब्जा काश्त खसरा संख्या 594, 756, 757, 898/758 रकबा क्रमशः 31.08, 0.08, 0.10 तथा 45.15 बीघा कुल रकबा 78.01 बीघा भूमि पर है तथा खसरा संख्या 679, 680 व 785/682 रकबा क्रमशः 0.09, 01.01 व 101.06 बीघा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का कब्जा काश्त है। खसरा संख्या 594 रकबा 31.08 बीघा, खसरा संख्या 756 रकबा 0.08 बीघा, खसरा संख्या 757 रकबा 0.10 बीघा, खसरा संख्या 898/758 रकबा 45.15 बीघा कुल रकबा 78.01 बीघा भूमि में वादीगण के 1/2 हिस्से अनुसार बंट में आई हुई है, जिसमे प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जावें। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के खसरा संख्या 679 रकबा 0.09 बीघा, खसरा संख्या 680 रकबा 01.01 बीघा, खसरा संख्या 785/682 रकबा 101.06 बीघा कुल रकबा 102.16 बीघा भूमि में वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जावें। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 पीढियों से आबाद होकर अलग–अलग कब्जा काश्त करते आ रहे है। वादीगण को वादग्रस्त भूमि में अपने 1/2 हिस्से अनुसार रकबा 78.01 बीघा भूमि को उपजाऊ बनाने व भूमि विकास संस्थाओं से ऋण लेने में अड़चने पैदा हो रही है। लिहाजा वादीगण अपने हिस्से के खसरों से प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाने के करवाने के अधिकारी है।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक से तलब किया गया।

वकील प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने वादीगण के वाद कथन को स्वीकार करते हुए इकबाली जवाब एवं राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त संयुक्त खातेदारी की है। मौजा नवजी का पाना पटवार क्षेत्र भूरटिया तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 594 रकबा 31.08 बीघा, खसरा संख्या 756 रकबा 0.08 बीघा, खसरा संख्या 757 रकबा 0.10 बीघा, खसरा संख्या 898/758 रकबा 45.15 बीघा कुल रकबा 78.01 बीघा भूमि में वादीगण के 1/2 हिस्से अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जावें तथा मौजा नवजी का पाना पटवार क्षेत्र भूरटिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2021.03.01 12:05:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) बाडमेर

तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 679 रकबा 0.09 बीघा, खसरा संख्या 680 रकबा 01.01 बीघा, खसरा संख्या 785/682 रकबा 101.06 बीघा कुल रकबा 102.16 बीघा भूमि में वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाकर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की संयुक्त खातेदारी में घोषित की जाती है तो उन्हे कोई आपति नही है।

वादी संख्या 01 नगाराम द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र सामिल मिसल किया गया। वादी संख्या 01 नगाराम द्वारा मुख्य परीक्षण में कथन किया कि वाद पत्र के संलग्न प्रस्तुत जमाबन्दी ईएक्स-1 तथा नक्शा ईएक्स-2 पेश किया है तथा वाद कथन में अंकित समस्त तथ्य सही है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की है। संयुक्त खातेदारी की भूमि में वादीगण का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का भी 1/2 हिस्सा निहित है। लिहाजा मौजा नवजी का पाना पटवार क्षेत्र भूरटिया तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 594 रकबा 31.08 बीघा, खसरा संख्या 756 रकबा 0.08 बीघा, खसरा संख्या 757 रकबा 0.10 बीघा, खसरा संख्या 898/758 रकबा 45.15 बीघा कुल रकबा 78.01 बीघा भूमि में वादीगण के 1/2 हिस्से अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जावें तथा मौजा नवजी का पाना पटवार क्षेत्र भूरटिया तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 679 रकबा 0.09 बीघा, खसरा संख्या 680 रकबा 01.01 बीघा, खसरा संख्या 785/682 रकबा 101.06 बीघा कुल रकबा 102.16 बीघा भूमि में वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाकर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की संयुक्त खातेदारी में घोषित किया जावे।

वकील प्रतिवादी ने कथन किया कि माफिक इकबाली जवाव एवं राजीनामा अनुसार वाद स्वीकार किया जाता है तो उन्हे कोई आपति नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075, राजीनामा तथा संलग्न दस्तावेजात का भी अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजात के आधार पर वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की होना प्रमाणित है जिससे वादीगण का हिस्सा निहित है। माफिक राजीनामा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 उक्तानुसार हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण का वाद उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार स्वीकार किया जाकर मौजा नवजी का पाना पटवार क्षेत्र भूरटिया तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 594 रकबा 31.08 बीघा, खसरा संख्या 756 रकबा 0.08 बीघा, खसरा संख्या 757 रकबा 0.10 बीघा, खसरा संख्या 898/758 रकबा 45.15 बीघा कुल रकबा 78.01 बीघा भूमि में वादीगण की खातेदारी में घोषित की जाती है तथा मौजा नवजी का पाना पटवार क्षेत्र भूरटिया तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 679 रकबा 0.09 बीघा, खसरा संख्या 680 रकबा 01.01 बीघा, खसरा संख्या 785/682 रकबा 101.06 बीघा कुल रकबा 102.16 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की खातेदारी में घोषित की जाती है। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2021.03.01 12:05:53 IST
Reason: SelfAttested

(रोहित चौहान)
सहायक कलक्टर
(एसडीओ) बाड़मेर

सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 21.01.21 को सरें इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एसडीओ) बाड़मेर

सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

प्रपत्र – 5

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर

पीठासन अधिकारी श्री रोहित चौहान (आर.ए.एस.) अन्तिम डिक्री

अनवान

वादीगण		प्रतिवादीगण
1 नगाराम पुत्र गंगाराम 2 घमडाराम 3 ठाकराराम पिसरान मोटाराम 4 पेमी पत्नी मोटाराम 5 हडुमानराम 6 आसूराम पिसरान पोकरराम जाति जाट निवासी नवजी का पाना (भूरटिया) तहसील व जिला बाडमेर।	बनाम	1 हनुमानराम 2 मगाराम पिसरान आईदानराम जाति जाट निवासी नवजी का पाना (भूरटिया) तहसील व जिला बाडमेर 3 तहसीलदार बाडमेर 4 मैनेजर भारतीय स्टेण्ड बैंक शाखा कवास।

दावा बाबत् 88 व 188 रा.का.अ.

मुकदमा नम्बर :– 42/2019

निर्णय दिनांक :– 21.01.21

वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 21.01.21 को श्री रोहित चौहान, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिकरी निम्नप्रकार दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार स्वीकार किया जाकर मौजा नवजी का पाना पटवार क्षेत्र भूरटिया तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 594 रकबा 31.08 बीघा, खसरा संख्या 756 रकबा 0.08 बीघा, खसरा संख्या 757 रकबा 0.10 बीघा, खसरा संख्या 898/758 रकबा 45.15 बीघा कुल रकबा 78.01 बीघा भूमि में वादीगण की खातेदारी में घोषित की जाती है तथा मौजा नवजी का पाना पटवार क्षेत्र भूरटिया तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 679 रकबा 0.09 बीघा, खसरा संख्या 680 रकबा 01.01 बीघा, खसरा संख्या 785/682 रकबा 101.06 बीघा कुल रकबा 102.16 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की खातेदारी में घोषित की जाती है। तहसीलदार बाडमेर तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह आज तारीख 21.01.21 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(रोहित चौहान)

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर, बाडमेर

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohit Chauhan

Date: 2021.03.01 12:05:53 IST

Reason: SelfAttested

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4 .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेषिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्सप प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

D:\L\Lalit Ji Joshi\PD\PD Abhiyan.docx